बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

दिनांक 14–02–14 को प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निगरानी कोषांग को आवश्यक आधारभूत सुविधा देकर हेल्पलाइन एवं स्टाफ का प्रावधान कर क्रियाशील बनाने पर बल दिया गया साथ ही दिनांक 17–02–14 तक कोषांग का बेस टेलीफोन संख्या निगरानी विभाग को सुलभ कराने की भी अपेक्षा की गई।

अतः श्री कृष्ण कुमार राय, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार को कोषांग प्रभारी के रूप में मनोनीत किया जाता है। यह कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त शिकायतों एवं निगरानी वादों की मॉनिटरिंग करेगा।

अवर सचिव, प्रशाखा–4(स0), उद्योग विभाग, बिहार को यह आदेश दिया जाता है कि कोषांग में एक कम्प्यूटर तथा एक बेस लाइन टेलीफोन अधिष्ठापन के साथ दो चतुर्थवर्गीय कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाय।

अवर सचिव, प्रशाखा–3(स0), उद्योग विभाग, बिहार को यह आदेश दिया जाता है कि कोषांग में न्यूनतम 2(दो) तृतीय वर्ग के कर्मी तथा 1(एक) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया जाय।

विभागीय आदेश संख्या–2810 दिनांक 17–06–13 को विलोपित किया जाता है।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– दिनांक
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)01/14 खंड

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रशाखा–3(स0)/अवर सचिव, प्रशाखा–4(स0)/श्री कृष्ण कुमार राय, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– उप सचिव, निगरानी विभाग, सूचना भवन, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी/उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/सभी अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 754 दिनांकः– 24/2/14

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.02.14
सरकार के अवर सचिव

राकेश/21–02–14

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 1.doc